बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 15/2/2013.

एस.ओ.सं0– I/एन'–169/2012– 1026 /भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा–3 के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं0–11, 2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार उक्त, अधिनियम की अनुसूची–I–क में तुरत के प्रभाव से निम्नांकित संशोधन करते हैं: –

(1) अनुच्छेद–4 के कॉलम–3 (उचित स्टाम्प ड्यूटी) की प्रविष्टियों "रू. 100/– (एक सौ रूपए) से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(2) अनुच्छेद–5(c) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 1000/– (एक हजार रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(3) अनुच्छेद–17 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 1000/– (एक हजार रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(4) अनुच्छेद–18 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "क्रय मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर निर्धारित मूल्य दोनों में जो ज्यादा हो पर हस्तांतरण के समान ड्यूटी" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(5) अनुच्छेद–24 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 100/– (एक सौ रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(6) अनुच्छेद–25का उप अनुच्छेद (a) एवं (b) को विलोपित किया जाएगा एवं अनुच्छेद–25 के लिए कॉलम–3 में "रू. 100/– (एक सौ रूपए)" प्रविष्टि किया जाएगा।

(7) अनुच्छेद–34 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "सेक्योरिटी बॉण्ड (सं0–57) की तरह राशि पर ड्यूटी रू. 1000/– (एक हजार रूपए) की अधिकतम सीमा के अंतर्गत" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(8) (A) अनुच्छेद–35(a) के कॉलम–2 एवं 3 की प्रविष्टियाँ निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएँगी: –

(i) जब पट्टा एक वर्ष से कम अवधि का हो	(i) न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के मूल्य का 2% पर हस्तांतरण पत्र के समान ड्यूटी।
(ii) जब पट्टा एक वर्ष अथवा उससे अधिक परन्तु दस वर्ष से अधिक अवधि का न हो	(ii) न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के मूल्य का 5% पर हस्तांतरण पत्र के समान ड्यूटी।
(iii) जब पट्टा दस वर्ष से अधिक अवधि परन्तु तीस वर्ष से कम अवधि का हो	(iii) न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के मूल्य का 15% पर हस्तांतरण पत्र के समान ड्यूटी।

(iv) जब पट्टा तीस वर्ष या तीस वर्ष से अधिक अवधि का हो या शाश्वत हो या पट्टे की अवधि निश्चित नहीं की गई हो	(iv) न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के मूल्य का 50% पर हस्तांतरण पत्र के समान ड्यूटी।

(B) अनुच्छेद–35(c) के बाद अनुच्छेद–35(d) एवं अनुच्छेद–35(e) निम्न प्रकार से जोड़े जाएँगे: –

(d) जब पट्टा प्राप्तकर्त्ता पट्टे पर ली गई सम्पत्ति में विकास करने के लिए राजी होता है और पट्टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त विकसित सम्पत्ति को पट्टा प्रदाता को वापस करता हो	(d) उप अनुच्छेद–(a)/(b)/(c) के अधीन भुगतेय ड्युटी के अतिरिक्त पट्टा प्राप्तकर्त्ता द्वारा सम्पत्ति के विकास के लिए खर्च की जाने वाली राशि पर हस्तान्तरण–पत्र (सं0 23) के समान।
(e) किसी विवरण वाले टॉल एकरारनामों पर	(e) टॉल एकरारनामे से संबंधित पक्षों के बीच निर्धारित राशि पर हस्तान्तरण–पत्र की तरह।

(9) (i) अनुच्छेद–46A(a) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "साझेदारी के पूँजी का 2.5% न्यूनतम रू. 1000/– (एक हजार रूपए) अधिकतम रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) के अंतर्गत" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(ii) अनुच्छेद–46A(b) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 10,000/– (दस हजार रूपये)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(iii) अनुच्छेद–46B के कॉलम–2 एवं 3 की प्रविष्टियाँ निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापित की जाएगी: –

B. साझेदारी का पुनर्गठनः –

(a) साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जब किसी साझेदार या साझेदारों द्वारा हिस्से के रूप में प्रदत्त अचल संपत्ति उस साझेदार के फर्म से किसी भी तरीके से बाहर निकलने के समय फर्म के साथ ही रह जाती हैं।	(a) फर्म के साथ रह गई अचल सम्पत्ति के मूल्य जो न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर निर्धारित हो पर हस्तांतरण पत्र के समान ड्यूटी।
(b) अन्य परिस्थितियों में	(b) रू. 5000/– (पाँच हजार रूपए)।

(iv) अनुच्छेद–46C के रूप में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी: –

C. साझेदारी का विघटन–

(a) जब एक साझेदार या साझेदारों की फर्म के शुरूआत के समय की अचल सम्पत्ति को दूसरे साझेदार या साझेदारों को आवंटित किया अथवा वितरित किया अथवा दिया जाता है	(a) साझेदारी के विघटन पत्र के अनुसार साझेदार या साझेदारों को वितरित की गई या आवंटित की गई या दी गई अचल सम्पत्ति के मूल्य जो न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में निर्धारित मूल्य के अनुसार हो पर हस्तांतरण पत्र की तरह देय ड्यूटी जो उस देय ड्यूटी के अतिरिक्त है यदि उक्त सम्पत्ति को वितरित या आवंटित नहीं किया गया या दिया नहीं गया रहता।

(b) अन्य परिस्थितियों में	(b) रू. 5000/– (पाँच हजार रूपए)।

(10) अनुच्छेद–48 के कॉलम–2 एवं 3 की प्रविष्टियाँ निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित की जाएँगी: –

(a) जब निष्पादक के संबंधियों यथा, पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन (निष्पादक के माता–पिता के बच्चे), पुत्रवधू, पौत्र/पौत्री (निष्पादक के पुत्र/पुत्री के बच्चे) से भिन्न व्यक्तियों को बिहार राज्य की अचल सम्पत्ति को विक्रय या हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो	(a) प्राधिकार से संबंधित सम्पत्ति के मूल्य या न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में निर्धारित मूल्य जो अधिक हो पर हस्तांतरण पत्र (सं0–23) के समान।
(b) यदि उक्त कंडिका–(a) में वर्णित रक्त संबंधियों को अचल संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण का अधिकार प्रदान किया गया हो, या किसी न्यायालय की कार्यवाही या वाद में आवश्यक होने पर, या बिहार राज्य की अचल संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण से भिन्न उद्देश्यों के लिए दिया गया हो	(b) रू. 1000/– (एक हजार रूपये)।

(11) अनुच्छेद–54 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "बंध–पत्र (सं0 40b) के समान उच्चतम सीमा रू. 1000/– (एक हजार रूपए) के अंतर्गत" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(12) अनुच्छेद–55 के कॉलम–2 एवं 3 की प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाएँगी: –

A. कोई दस्तावेज (धारा–23 के द्वारा प्रावधानित लादायी नहीं) जिसके द्वारा एक संयुक्त रूप से स्वामी, अंशधारी या हिस्सेदार अपने अंश, हिस्से या दावे को दूसरे संयुक्त रूप से स्वामी, अंशधारी या हिस्सेदार के पक्ष में छोड़ता हो–	
(a) यदि पैतृक संपत्ति या उसके हिस्से से संबंधित लादायी दस्तावेज का निष्पादन भाई/बहन (हक छोड़ने वाले के माता–पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या मृत पुत्र के पुत्र या मृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या हक छोड़ने वाले का पति/पत्नी या उपरोक्त संबंधियों के कानूनी वारिसों के पक्ष में किया गया हो	(a) छोड़े गए अंश, हिस्से, अधिकार के मूल्य, जो न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर निर्धारित हो, पर बॉण्ड (सं0 15) की तरह ड्यूटी।
(b) अन्य परिस्थितयों में	(b) छोड़े गए अंश, हिस्से, अधिकार के मूल्य, जो न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर निर्धारित हो, पर हस्तांतरण (सं0 23) की तरह ड्यूटी।

(13) अनुच्छेद–57 के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "प्रतिभूति की रकम के लिए बौण्ड (सं0 15) की तरह ड्यूटी अधिकतम सीमा रू. 1000/– (एक हजार रूपए) के अन्तर्गत" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(14) अनुच्छेद–58B के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "दस्तावेज में अंकित राशि या सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर बौण्ड (सं0 15) की तरह ड्यूटी अधिकतम रू. 1000/– (एक हजार रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(15) अनुच्छेद–61(a) के कॉलम–2 की प्रविष्टि "रू. 200/– (दो सौ रूपये)" "रू. 1000/– (एक हजार रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएगी एवं अनुच्छेद–61(b) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 1000/– (एक हजार रूपए)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(16) (i) अनुच्छेद–62(c) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ" बौण्ड (सं0 15) की तरह अधिकतम सीमा "रू. 1000/– (एक हजार रूपये)" के अन्तर्गत से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(ii) अनुच्छेद–62(d) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 1000/– (एक हजार रूपये)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

(17) अनुच्छेद–64(a) के कॉलम–3 की प्रविष्टियाँ "रू. 5000/– (पाँच हजार रूपये)" से प्रतिस्थापित की जाएँगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/2/13

(संदीप पौण्ड्रीक)
सरकार के सचिव

एस0ओ0सं0–I/एम1–169/2012– 1026 /, पटना, दिनांक– 15/2/2013

प्रतिलिपि– उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

15/2/13

(संदीप पौण्ड्रीक)
सरकार के सचिव

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

NOTIFICATION

Patna, Dated- 15/2/2013

S.O.No.- I/M1- 169/2012- 1026 /In exercise of the powers conferred by 3rd proviso of section-3 of the Indian Stamp Act, 1899 [as inserted by the Bihar Finance Act, 2001 (Act No.-11 of 2002)], the Governor of Bihar is pleased to make following amendments in Schedule-IA of the said Act with immediate effect: --

(1) The entries in column-3 of Article-4 shall be substituted by "Rs. 100/- (Rupees One hundred)".

(2) The entries in column-3 of Article-5(c) shall be substituted by "Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(3) The entries in column-3 of Article-17 shall be substituted by "Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(4) The entries in column-3 of Article-18 shall be substituted as "The same duty as conveyance on purchase price or value based on Minimum Valuation Register of the property whichever is higher".

(5) The entries in column-3 of Article-24 shall be substituted by "Rs. 100 (Rupees One hundred)".

(6) Sub-article-25 (a) & (b) shall be deleted and "Rs. 100 (Rupees One hundred)" shall be entered in column-3 of Article-25.

(7) The entries in column-3 of Article-34 shall be substituted as "The same duty as Security Bond (No.-57) for the same amount subject to a maximum of Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(8) (A) The entries in column-2 & 3 of Article-35(a) shall be substituted as follows: -

(i) Where the lease purports to be for a term of less than one year	(i) The same duty as conveyance (No. 23) on 2 percentum of the market value of the property based on MVR.
(ii) Where the lease purports to be for a term of 1 year & above but not exceeding ten years.	(ii) The same duty as conveyance (No. 23) on 5 percentum of the market value of the property based on MVR.
(iii) Where the lease purports to be for a term exceeding 10 years but less than 30 years.	(iii) The same duty as conveyance (No. 23) on 15 percentum of the market value of the property based on MVR.
(iv) Where the lease purports to be for a term of 30 years and exceeding 30 years or in the perpetuity or where the lease does not purport to be for any definite term.	(iv) The same duty as conveyance (No. 23) on 50 percentum of the market value of the property based on MVR.

(B) Sub-article-35(d) & Sub-article-35(e) shall be included after Sub-article-35(c) as follows: -

(d) Where the lessee under takes to effect improvement in the leased property and agreed to make over the same to the lessor at the time of termination of lease	(d) The same duty as conveyance (No. 23) for value of the improvement contemplated to be made by the lessee as set forth in the deed in addition to the duty chargeable under sub-clause (a)/(b)/(c) as the case may be.
(e) Toll agreements of any description	(e) The same duty as a conveyance (No. 23) on the total amount of contract agreed between the parties to the toll agreement.

(9) (i) The entries in column-3 of Article-46 A(a) shall be substituted as "2.5% of the capital of partnership deed subject to a minimum of Rs. 1000/- (Rupees One thousand) and the maximum of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand)".

(ii) The entries in column-3 of Article-46 A(b) shall be substituted as "Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand)".

(iii) The entries in column-2 & 3 of Article-46 B shall be substituted as.-

B. Reconstitution of partnership.-

(a) When immovable property contributed as share by a partner or partner remains with the firm at the time of outgoing in whatever manner by such partner or partners on reconstitution of such partnership firm.	(a) The same duty as a Conveyance duty (No. 23) on the value as fixed in MVR of the immovable property remaining with the firm.
(b) In any other case	(b) Rs. 5000/- (Rupees Five thousand)

(iv) The entries under Article-46 C shall be added as.-

C. Dissolution of partnership.-

(a) Where the immovable property which belonged to one partner or partners when the partnership commenced is distributed or allotted or given to another partner or partners.	(a) The same duty as Conveyance (No. 23) for value equal to the value as fixed in MVR of the property distributed or allotted or given to the partner or partners under the instrument of dissolution, in addition to the duty which would have been chargeable on such dissolution if such property had not been distributed or allotted or given.
(b) In any other case	(b) Rs. 5000/- (Rupees Five thousand)

(10) The entries in column-2 & 3 under Article-48 shall be substituted as.-

(a) When given to person other than the father, mother, wife, husband, sons, daughters, brothers, sisters (children of executants parents), wife of son, grandson, granddaughter (children of executants son/daughter) in relation to the executants authorizing such person to sell or transfer immovable property situated in the State of Bihar.	(a) Same as Conveyance (No. 23) for a consideration or value as fixed in MVR of the property formally subject matter of such authority, whichever is more.
(b) When given to blood relations as mentioned in column (a) authorizing to sell or transfer immovable property, or When required in suits or proceedings in a court, or Given for purposes other than authorizing to sell or transfer or convey immovable property situated in the State of Bihar.	(b) Rs. 1000/- (Rupees One thousand)

(11) The entries in column-3 of Article-54 shall be substituted as "Same as Mortgage [No. 40(b)] subject to maximum limit of Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(12) The entries in column-2 & 3 of Article-55 A shall be substituted as.-

A. Any instrument (not being such a release as is provided for by section-23A) whereby a co-owner, co-shares or co-parcener renounces his interest share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener.-	
(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (Children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of predeceased son or father or mother, or spouse of the renouncer or the legal heirs of the above relatives.	(a) Same duty as a Bond (No. 15) for the amount equal to the value of the share, interest, part or claim renounced based on Minimum Value Register.
(b) In any other case	(b) Same duty as on Conveyance (No. 23) for the amount equal to the value of the share, interest, part or claim renounced based on Minimum Value Register.

(13) The entries in column-3 of Article-57 shall be substituted as "The same duty as Bond (No. 15) for the amount secured subject to the maximum limit of Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(14) The entries in column-3 of Article-58 B shall be substituted as "The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount as set forth in such instrument or market value of the property but not exceeding Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(15) The entry of "Rs. 200/-" in column-2 of Article-61(a) shall be substituted by " Rs. 1000/- (Rupees One thousand)" and the entries in column-3 of Article-61(b) shall be substituted as "Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(16) (i) The entries in column-3 of Article-62(c) shall be substituted as "As in Bond (No. 15) subject to a maximum limit of Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(ii) The entries in column-3 of Article-62(d) shall be substituted as " Rs. 1000/- (Rupees One thousand)".

(17) The entries in column-3 of Article-64(a) shall be substituted as Rs. 5000/- (Rupees Five thousand)".

By the Order of the Governor of Bihar,

(Sandeep Poundrik)
Secretary to the Government

ज्ञापांक– I/एम¹–169/2012– 1026 /,पटना, दिनांक– 15/2/2013

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, ई–गजट कोषाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

15/2/13

(संदीप पौण्डरीक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– I/एम¹–169/2012– 1026 /,पटना, दिनांक– 15/2/2013

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/13

(संदीप पौण्डरीक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– I/एम¹–169/2012– 1026 /,पटना, दिनांक– 15/2/2013

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक (सभी)/जिला अवर निबंधक (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/13

(संदीप पौण्डरीक)
सरकार के सचिव।